



Neutral Citation No.- 2026:AHC:17526

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-155 वर्ष 2026

मोहम्मद मोहसिन आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: आँकार सिंह, सचिन मलिक

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: अंबरीन मसरूर, शासकीय अधिवक्ता, सदरुल इस्लाम जाफरी

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची का पुनः पुकार किया गया।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री आँकार सिंह, सूचनाकर्ता के अधिवक्ता श्री गुफरान अहमद खान, सूचनाकर्ता के अधिवक्ता श्री सदरुल इस्लाम जाफरी और राज्य विधि अधिकारी श्री आर.पी. सिंह को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
3. आवेदक ने मुकदमा लंबित रहने के दौरान धारा 364, 302, 201 भ०द०वि०, थाना-फुगना, ज़िला: मुजफ्फरनगर के तहत 2023 के केस अपराध संख्या-6 में ज़मानत मांगी है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूरी तरह से निर्दोष है और प्रस्तुत मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। आवेदक का नाम प्राथमिकी में था, लेकिन पुलिस ने उसे बरी कर दिया। इसके बाद, आवेदक और सह-आरोपी व्यक्तियों को विचारण न्यायालय द्वारा द०प्र०स० की धारा 319 के तहत शक्ति का उपयोग करके तलब किया गया था। आवेदक का मामला सह-आरोपी व्यक्ति अकील के लिए बेहतर स्थिति में है, जिसे इस न्यायालय द्वारा ज़मानत पर रिहा किया जा गया है, इस प्रकार, आवेदक भी ज़मानत का हकदार है। आवेदक की ओर इशारा करने पर कोई बरामदगी नहीं हुई है।



5. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे कहा है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 28.10.2025 से जेल में बंद है और वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

6. राज्य विधि अधिकारी और सूचनाकर्ता के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन आवेदक के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए प्रस्तुतियों पर विवाद नहीं किया जा सकता है।

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ, अभिलेखों पर साक्ष्य, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक को पुलिस द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया था और सह-आरोपी व्यक्ति को इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत पर बढ़ा दिया गया है और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रथम दृष्टया न्यायालय का विचार है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है। जमानत आवेदन की अनुमति है।

8. आवेदक- **मोहम्मद मोहसिन**, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और समान राशि में दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।

(iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत को रद्द करने का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियों से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विचारण न्यायाधीश किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा।



जनवरी 27, 2026

शालिनी

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!